"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015—ज्येष्ठ 22, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती लता देवी ठाकुर (Lata Devi Thakur) पति श्री हीरूराम ठाकुर, आयु 37 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-2/बी, सड़क 33, नंदिनीनगर अहिवारा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती लता देवी ठाकुर (Lata Devi Thakur) दर्ज है तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र में श्रीमती लता (Lata) एवं मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम श्रीमती लता ठाकुर (Lata Thakur) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती लता देवी ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती लता देवी ठाकुर (Lata Devi Thakur) पति श्री हीरूराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
लता ठाकुर पिता-बलीराम भुआर्य निवासी-क्वाटर नं.-2/बी, सड़क नं. 33 नंदिनीनगर, तहसील धमधा (अहिवारा) जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490036	लता देवी ठाकुर पति-श्री हीरूराम ठाकुर निवासी-क्वाटर नं.-2/बी, सड़क नं. 33 नंदिनीनगर, तहसील धमधा (अहिवारा) जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490036

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विशाल लाल आत्मज शंकर लाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी-मकान नं. ई-4, मारुति रेसीडेंसी, अमलीडीह, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र तथा कक्षा पहली से लेकर कालेज (बी. ई.) तक की शैक्षणिक समस्त अंकसूची/दस्तावेज, पैन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम विशाल आत्मज शंकर लाल दर्ज है तथा मेरे कम्पनी, जहां में कार्य करता हूं के सर्विस रिकार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में मेरा नाम विशाल लाल आत्मज शंकर लाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विशाल लाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विशाल लाल आत्मज शंकर लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

विशाल
आत्मज-शंकर लाल
निवासी-मकान नं. ई-4, मारुति रेसीडेंसी,
अमलीडीह, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
पिन 492006

नया नाम

विशाल लाल
आत्मज-शंकर लाल
निवासी-मकान नं. ई-4, मारुति रेसीडेंसी,
अमलीडीह, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
पिन 492006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमाशंकर साह (Umashankar Sah) आत्मज श्री गणेश साह, उम्र 50 वर्ष, निवासी-मकान नं. 123, सड़क नं. 5, फेस-6, मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मैं आर्मी एजुकेशन कोर में सेवारत था जिसके सर्विस रिकार्ड एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम उमाशंकर शाहा (Umashankar Shaha) / उमाशंकर शाह (Umashankar Shah) दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम उमाशंकर साह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे उमाशंकर साह (Umashankar Sah) आत्मज श्री गणेश साह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

उमाशंकर शाहा/उमाशंकर शाह
(Umashankar Shaha)/(Umashankar Shah)
आत्मज-श्री गणेश साह
निवासी-मकान नं. 123, सड़क नं. 5, फेस-6,
मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

उमाशंकर साह
(Umashankar Sah)
आत्मज-श्री गणेश साह
निवासी-मकान नं. 123, सड़क नं. 5, फेस-6,
मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विमला देवी साह (Vimla Devi Sah) ध. प. श्री उमाशंकर साह, उम्र 42 वर्ष, निवासी-मकान नं. 123, सड़क नं. 5, फेस-6, मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं वर्तमान में गृहणी हूं तथा मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विमला देवी (Vimla Devi)/ विमला देवी शाह (Vimla Devi Shah) दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती विमला देवी साह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती विमला देवी साह (Smt. Vimla Devi Sah) ध. प. श्री उमाशंकर साह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विमला देवी/विमला देवी शाह (Vimla Devi)/(Vimla Devi Shah) ध. प. उमाशंकर साह निवासी-मकान नं. 123, सड़क नं. 5, फेस-6, मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती विमला देवी साह (Smt. Vimla Devi Sah) ध. प. उमाशंकर साह निवासी-मकान नं. 123, सड़क नं. 5, फेस-6, मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यास्मीन रिज़वी पति मो. हासम रिज़वी निवासी-मनीष मेन्सन अपार्टमेंट, नेहरू गार्डन के पासा, धमतरी, तहसील व जिला धमतरी (छ. ग.) की हूं. पूर्व में मुझे यामिनी साहू के नाम से जानी जाती थी. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम यास्मीन रिज़वी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे यास्मीन रिज़वी पति मो. हासम रिज़वी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
यामिनी साहू जंगलपारा नगरी जिला धमतरी (छ. ग.)	यास्मीन रिज़वी पति-मो. हासम रिज़वी निवासी-मनीष मेन्सन अपार्टमेंट हाउस नं. 55, नेहरू गार्डन के पास धमतरी (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परविन्दर सिंह ग्रेवाल आत्मज श्री एच. एस. ग्रेवाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1/सी, बी पाकेट, मरौदा सेक्टर, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम परविन्दर सिंह लिखा हुआ है तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम परविन्दर सिंह ग्रेवाल लिखा हुआ है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम परविन्दर सिंह ग्रेवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे परविन्दर सिंह ग्रेवाल आत्मज श्री एच. एस. ग्रेवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
परविन्दर सिंह आत्मज-श्री एच. एस. ग्रेवाल निवासी- क्वा. नं. 1/सी, बी पाकेट मरौदा सेक्टर, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	परविन्दर सिंह ग्रेवाल आत्मज-श्री एच. एस. ग्रेवाल निवासी- क्वा. नं. 1/सी, बी पाकेट मरौदा सेक्टर, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 13 मई 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/136/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पन्नालाल श्री श्रीमाल आत्मज स्व. स्वरूपचंद श्री श्रीमाल निवासी देवेन्द्र नगर, रायपुर द्वारा "श्री सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ रायपुर ट्रस्ट" पता महाराणा प्रताप स्कूल के पास महावरी भवन नयापारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ रायपुर ट्रस्ट" पता- महाराणा प्रताप स्कूल के पास महावरी भवन नयापारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	11001/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 22-06-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 13-05-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 4 जून 2015

प्रारूप - 5

[देखे नियम-5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 3) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के समक्ष.

क्रमांक 950/अविअ/प्रवा.-1/2015.— अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 3) की-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :-

अब इसलिए मैं बी. एल. गजपाल, लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव मेरे न्यायालय में दिनांक 03-06-2015 दिवस बुधवार पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कर्मचारी न्यासी या इनमें से हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति का सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन पर तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए . उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : श्री सुधर्म आराधना ट्रस्ट, नंदई रोड, कांजी हाउस के पास, राजनांदगांव

बी. एल. गजपाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/660.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अमन प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. जरवाय भिलाई पं. क्रमांक 2865 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत अमन प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. जरवाय भिलाई पं. क्रमांक 2865 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/661.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सुरभि प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुपेला भिलाई पं. क्रमांक 2916 दिनांक 18-04-2009 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत सुरभि प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुपेला भिलाई पं. क्रमांक 2916 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/662.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत समता न्यू प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. वार्ड 03, भिलाई पं. क्रमांक 2908 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत समता न्यू प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. वार्ड 03, भिलाई पं. क्रमांक 2908 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/663.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत रॉ मटेरियल को. आप. केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई पं. क्रमांक 2095 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत रॉ मटेरियल को. आप. केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई पं. क्रमांक 2095 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/664.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत बी. टी. आई. को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई तह. व जिला दुर्ग पं. क्रमांक 2618 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत बी. टी. आई. को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई तह. व जिला दुर्ग पं. क्रमांक 2618 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/665.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत फाउन्ड्री पेटर्न शाप को. आप. केन्टीन बी. एस. पी. प्लांट भिलाई पं. क्रमांक 2239 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत फाउन्ड्री पेटर्न शाप को. आप. केन्टीन बी. एस. पी. प्लांट भिलाई पं. क्रमांक 2239 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/666.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत बी. एस. पी. कर्मचारी स्लेग ग्रेनुएशन जलपान सह. समिति मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 1986 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत बी. एस. पी. कर्मचारी स्लेग ग्रेनुएशन जलपान सह. समिति मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 1986 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/667.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत ब्लास्ट फर्नेस को. आप. केन्टीन मर्या. बी. एस. पी. भिलाई पं. क्रमांक 1805 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत ब्लास्ट फर्नेस को. आप. केन्टीन मर्या. बी. एस. पी. भिलाई पं. क्रमांक 1805 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/668.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत वर्क्स को. आप. केन्टीन मर्या. पी. पी. 2 बी. एस. भिलाई पं. क्रमांक 2299 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत वर्क्स को. आप. केन्टीन मर्या. पी. पी. 2 बी. एस. भिलाई पं. क्रमांक 2299 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/669.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत फोर्ज एण्ड स्ट्रक्चरल शाप को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2309 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत फोर्ज एण्ड स्ट्रक्चरल शाप को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2309 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री ए. मुखर्जी, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.